फा. सं. 6/48/2024- डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001

दिनांक : 15 जनवरी, 2025

<u>शुद्विपत्र अधिसूचना</u>

मामला सं. – एडी (ओआई) – 45/2024

विषयः - चीन जन. गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलॉन फिलामेंट यार्न के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में जारी की गई जांच शुरुआत अधिसूचना के लिए शुद्धिपत्र

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'पाटनरोधी नियम' अथवा 'नियम' कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन. गण. और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "नायलॉन फिलामेंट यार्न" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के संबंध में दिनांक 26.12.2024 की जांच शुरुआत अधिसूचना संख्या 6/48/2024-डीजीटीआर जारी की है।

उपर्युक्त जांच शुरुआत अधिसूचना में लघु टाइपोग्राफिकल त्रुटियाँ हुई थीं। अत: जांच शुरुआत अधिसूचना में निम्नलिखित सुधार किया जाता है :

परिचय, पैरा 7 और पैरा 8 में **"सेंचुरी एनका प्राइवेट लिमिटेड"** के सभी संदर्भों को **"सेंचुरी एनका लिमिटेड"** के रूप में पढ़े जाने के लिए संशोधित किया जाता है।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी